

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 3956

दिनांक - 4/10/2022

प्रार्थीगण  
1 लाभूराम पुत्र दानाराम 2 कमलाराम  
पुत्र उम्मेदाराम 3 हउवा पत्नी  
उम्मेदाराम 4 दादूराम पुत्र ठाकराराम  
जाति मेघवाल निवासी सुरा जागीर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 सगतसिंह 2 गगसिंह 3 कूम्पसिंह 4 पृथ्वीसिंह  
5 नरपतसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 6 रावतसिंह  
पुत्र नाथूसिंह 7 रतनसिंह पुत्र वाघसिंह जाति  
राजपूत निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला  
बाड़मेर 8 तहसीलदार बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 147/2022

दिनांक-28/9/2022

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लापलनाडी पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 730 रकबा 1.5621 बीघा व खसरा संख्या 739 रकबा 3.0999 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 4/10/2022

क्रमांक :- रीडर/2022/ 3957 -60

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लाभूराम पुत्र दानाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सगतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह वगैराह जाति मेघवाल निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड बाड़मेरारी  
बाड़मेर